

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1864/2026
CNR: RJHC020326202026 | URN: CMA / 3344U / 2026

Bhairuram Saini S/o Shri Paimaram Saini @ Ramnarayan Saini,
Aged About 49 Years, R/o Pandyon Ki Dhani, Village Khora
Shyam Das, Tehsil Amer, District Jaipur.

-----Appellant/Claimant

Versus

1. Sushil Kumar Swami S/o Shri Gopiram Swami, R/o Village Rajpura, Chirawa, Pilani, District Jhunjhunu (Driver Of Vehicle Bus No. RJ-18-PA-7819)
2. Amilal S/o Shri Kaluram, R/o Village Post Palota, Tehsil Buhana, District Jhunjhunu (Registered Owner Of Vehicle Bus No. RJ-18-PA-7819)
3. Oriental Insurance Company Limited, Through Regional Manager, Regional Office Tenth Floor, N.B.C.C. Tower, Sahkar Marg, Police Station Jyoti Nagar, Jaipur (Insurance Company Of Vehicle Bus No. RJ-18-PA-7819)

-----Non Claimants-Respondents

For Appellant(s) : Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Tripurari Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

16/07/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ट न्यायालय, सा. दं. प्र.) जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-361/2023, बउनवान भैरुराम सैनी बनाम सुशील कुमार स्वामी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2026 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी भैरुराम सैनी द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 61,40,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम

याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को **कुल 17,18,526/— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार करते हुए उसकी मासिक आय 6,734/— रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना अपीलार्थी सब्जी बेचने व पशुपालन का कार्य कर प्रतिमाह 25,000/— रुपये की आय अर्जित करता था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी का बायां पैर जांघ से काटा जाना बताया गया है, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 85 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता कारित होना बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित आय पर कोई भविष्य वृद्धि नहीं कर त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में कोई समुचित राशि नहीं दिलवाई गयी है तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया व विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 85 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में

आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.

13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in *Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd.* explained "just compensation" in the following words:

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 16.05.2022 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 46 वर्ष की आयु का होना बताते हुए सब्जी बेचने व पशुपालन का कार्य कर प्रतिमाह 25,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर वर्ष 2021 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की

मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,734/— रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अपीलार्थी की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। घटना दिनांक 16.05.2022 की बताई गई है। श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2022 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 2021 के पश्चात् वर्ष 2023 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2021 में अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 259/— रुपये तथा वर्ष 2023 में 285/— रुपये प्रतिदिन रही है। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि तथा अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी दैनिक आय 275/— रुपये, तदनुसार **मासिक आय $275 \times 30 = 8,250$ /— रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना अपीलार्थी को 46 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 46 से 50 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। चूंकि वक्त घटना अपीलार्थी 46 से 50 वर्ष के मध्य आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 8,250/— रुपये में 25 प्रतिशत अर्थात् 2,062/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 10,312/— रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित होना बताया गया तथा अपीलार्थी के बायें पैर में कारित गंभीर चोट के फलस्वरूप अपीलार्थी का बायां पैर जांघ से काट दिया गया है, जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 85 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-22 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की स्थाई निर्योग्यता 85 प्रतिशत निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से

अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-22 में अपीलार्थी के शरीर पर दर्शाई गई 85 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 85 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 10,312/- रुपये का 85 प्रतिशत 8,765/- रुपये होता है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 46 से 50 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी. सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु 13 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की **कुल क्षति $8,765 \times 12 \times 13 = 13,67,340/-$ रुपये** होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 8,00,000/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः उपरोक्त 8,00,000/- रुपये की राशि को हम, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व भविष्य में होने वाली सुख-सुविधाओं की कमी के मद में आंका जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को उसके इलाज पर व्यय की गयी राशि के मद में 16,208/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी दिनांक 16.05.2022 से दिनांक 19.05.2022 तक, कुल 04 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहा है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। अतः 04 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में हम, 600/- रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 2,400/- रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा पौष्टिक आहार की मद में 2,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है, जो कम है। मामले की दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी का बायां पैर जांघ से काटा गया है, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी। ऐसी स्थिति में हम, पौष्टिक आहार की मद में 30,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
13. विद्वान अधिकरण द्वारा यातायात व परिवहन की मद में 5,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गयी है, जो कम है। दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी को इलाज हेतु अस्पताल आना—जाना पड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हम, यातायात व परिवहन की मद में 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को परिचारक/सहायक की मद में 2,400/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम है। मामले की घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी का बायां पैर जांघ से काट दिया गया है, जिस कारण अपीलार्थी अपना शेष जीवन दूसरों के सहारे जीने हेतु बाध्य हो गया है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थी को परिचारक/सहायक की मद में 1,80,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
15. इलाज के दौरान अपीलार्थी का बायां पैर घुटने के नीचे से काटा गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा भविष्य में कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिम्ब) लगवाये जाने की संभावना को देखते हुए व उसके रखरखाव (मेंटेनेंस) पर खर्च होने वाली राशि को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त मद में हम, 1,50,000/— रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
16. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :—

क्रम संख्या	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में	13,67,340/—
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख—सुविधाओं की कमी के मद में	8,00,000/—
3.	इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में	16,208/—

4.	04 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	2,400 /—
5.	पौष्टिक आहार की मद में	30,000 /—
6.	यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में	15,000 /—
7.	परिचारक/सहायक की मद में	1,80,000 /—
8.	कृत्रिम अंग आदि पर व्यय राशि तथा उनके रखरखाव की मद में	1,50,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		25,60,948 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि		17,18,526 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		8,42,422 /—

17. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **17,18,526 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **25,60,948 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।
18. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
19. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
20. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J